

बिहार सरकार

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E-mail ID-sorred2012@gmail.com

124

पत्रांक :-

मु0नि0(पथ) 44/2013 (अंश-III) 09 (अनु0) पटना, दिनांक :- 09/02/2024

प्रेषक,

अमरनाथ पाठक,

संयोजक, राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति

-सह-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
2. अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
3. अभियंता प्रमुख,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण
समिति, बिहार, पटना।
4. अभियंता प्रमुख,
तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
5. अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
6. अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।
7. मुख्य अभियंता (असैनिक),
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति, बिहार, पटना।
8. मुख्य अभियंता (विद्युत),
भवन निर्माण विभाग सह सदस्य राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।

विषय :- प्राक्कलन में Goods & Services Tax (GST) का प्रावधान से संबंधित प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 05.02.2024 को आहूत राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना की बैठक में प्राक्कलन में Goods & Services Tax (GST) के प्रावधान से संबंधित अनुमोदित प्रक्रिया निर्धारण से संबंधित निर्णय एवं कार्यवाही की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है।
अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

री सं० - 768

क. 12.02.24

अभि० एवं मोनिटरिंग

न संलग्न विभाग

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

तारी सं०

35
12/2/24

12/2/24
(अमरनाथ पाठक)

दिनांक-05.02.2024 को आहुत राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना की बैठक में प्राक्कलन में Goods and Service Tax (GST) के प्रावधान से संबंधित निर्णय।

282

वाणिज्य कर विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति, बिहार, पटना द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्राक्कलन में Goods and Service Tax (GST) का प्रावधान करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) दर विश्लेषण में 10 (दस) प्रतिशत मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) नहीं जोड़ा जाय।
- (ii) Carriage, Overhead Charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty को जोड़कर प्रत्येक कार्य मद का दर निर्धारित किया जाय तथा इस निर्धारित दर के आधार पर परियोजना की प्राक्कलित राशि निर्धारित की जाय।
- (iii) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि पर 1 प्रतिशत Labour Cess का प्रावधान निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाय।
- (iv) उपरोक्त कंडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (Labour Cess रहित) में सम्मिलित रॉयल्टी सहित Basic खनिज मूल्य (दुलाई रहित) पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान अलग से किया जाय।
- (v) Work-Contracts के लिए उपरोक्त कंडिका-(ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि/कुल लागत में Labour Cess एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) को जोड़ा जाय तथा प्राक्कलित राशि, Labour Cess एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) के योग पर Contract Service Tax/Work Contract G.S.T का प्रावधान अधिसूचित/निर्धारित दर के अनुसार किया जाय।
- (vi) Bill of Quantity (B.O.Q.) में Work Value, Labour Cess Value, मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं GST Value का अलग-अलग उल्लेख किया जाय।

तत्संबंधी उदाहरण तालिका (Model Calculation Sheet) निम्न प्रकार है :-

- (a) Estimated Amount (प्राक्कलित राशि) Including Carriage, Overhead Charge (Excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty but Excluding GST, Labour Cess & Seigniorage fee
= "A"
- (b) Labour Cess @1%
= "B" = A X 0.01
- (c) प्राक्कलन में सम्मिलित रॉयल्टी सहित लघु खनिज का Basic मूल्य (दुलाई रहित)
= "C"
- (d) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) रॉयल्टी सहित Basic लघु खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से
= "D" = C X 0.10
- (e) Estimated Amount + Labour Cess + Seigniorage Fee
= "E" = A+B+D
- (f) Work Contract GST in Percentage
= "Y" %

P.T.O.

- (g) Contract GST Amount
(h) Bill of Quantity (B.O.Q)

$$= "F" = \frac{EY}{100}$$

Work Value = A
Labour Cess = B
Seigniorage fee = D
GST Value = F

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लि०, बिहार, पटना।

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-मुख्य अभियंता, (विद्युत) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

[Signature]
संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति-सह-अभियंता प्रमुख मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय :-

1. प्राक्कलन में GST के प्रावधान से संबंधित प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में :-

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)-सह-अध्यक्ष, विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के पत्रांक-01 दिनांक-01.01.2024 के साथ संलग्न वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना का परामर्श इस प्रकार है :-

“बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-9(1) के प्रावधानानुसार कर की देयता अधिनियम की धारा-15 के अनुसार निर्धारित मूल्य पर होती है। ध्यातव्य है कि अधिनियम की धारा-15 के अनुसार किसी माल या सेवाओं के आपूर्ति का मूल्य उसका Transaction Value होगा जो किसी सप्लायर को आपूर्ति के विरुद्ध वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है। साथ ही इस Transaction Value में जी०एस०टी० अधिनियम के अंतर्गत देय कर को छोड़कर किसी भी अन्य कानून के अधीन देय कोई Taxes, Duties, Cess, fees और Charges भी शामिल होंगे, यदि सप्लायर द्वारा इसे पृथक् रूप से चार्ज किया गया हो।”

वाणिज्य कर विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में वित्त विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई करने का परामर्श जल संसाधन विभाग के उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न सचिका संख्या-1/PMC/वि०/879/2012 पार्ट-II पृष्ठ संख्या-95 की छायाप्रति के रूप में दी गई है।

तदनुसार जल संसाधन विभाग के विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से प्राक्कलन के Goods & Service Tax (GST) का प्रावधान करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाने का निर्णय लिया गया :-

- दर विश्लेषण में 10 (दस) प्रतिशत मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) नहीं जोड़ा जाय।
- Carriage, Overhead Charge (excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty को जोड़कर प्रत्येक कार्य मद का दर निर्धारित किया जाय तथा इस निर्धारित दर के आधार पर परियोजना की प्राक्कलित राशि निर्धारित की जाय।
- उपरोक्त कडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि पर 1 प्रतिशत Labour Cess का प्रावधान निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाय।
- उपरोक्त कडिका (ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि (Labour Cess रहित) में सम्मिलित रॉयल्टी सहित Basic खनिज मूल्य (दुलाई रहित) पर 10 (दस) प्रतिशत की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) का प्रावधान अलग से किया जाय।
- Work-Contracts के लिए उपरोक्त कडिका-(ii) में निर्धारित प्राक्कलित राशि/कुल लागत में Labour Cess एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) को जोड़ा जाय तथा प्राक्कलित राशि, Labour Cess एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) के योग पर Contract Service Tax/Work Contract G.S.T का प्रावधान अधिसूचित/निर्धारित दर के अनुसार किया जाय।
- Bill of Quantity (B.O.Q.) में Work Value, Labour Cess Value, मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं GST Value का अलग-अलग उल्लेख किया जाय।

तत्संबंधी उदाहरण तालिका (Model Calculation Sheet) निम्न प्रकार है :-

- Estimated Amount (प्राक्कलित राशि) Including Carriage, Overhead Charge (Excluding VAT/GST), Contractor Profit, Royalty but Excluding GST, Labour Cess & Seigniorage fee
= "A"
- Labour Cess @1%
= "B" = A X 0.01
- प्राक्कलन में सम्मिलित रॉयल्टी सहित लघु खनिज का Basic मूल्य (दुलाई रहित)
= "C"

- (d) मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) रॉगल्टी सहित
Basic लघु खनिज मूल्य पर 10 प्रतिशत की दर से = "D" = C X 0.10
- (e) Estimated Amount + Labour Cess +
Seigniorage Fee = "E" = A+B+D
- (f) Work Contract GST in Percentage = "Y" %
- (g) Contract GST Amount = "F" = $\frac{EY}{100}$
- (h) Bill of Quantity (B.O.Q)
- | | |
|-----------------|-----|
| Work Value | = A |
| Labour Cess | = B |
| Seigniorage fee | = D |
| GST Value | = F |

समिति द्वारा सर्वसम्मति से GST की उक्त गणना को अनुसूचित दर पुस्त में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया।

2. निर्माण कार्य में Shyam Steel Industries Ltd., Kolkata का उपयोग रोकने से संबंधित श्री दिनेश कुमार सिंह, ए०जी० कॉलोनी, पटना के आवेदन के संबंध में :- इस संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से अगली बैठक में विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त।

5-2-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

05-02-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना।

05-02-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-मुख्य
अभियंता (असैनिक) बिहार स्टेट
पावर होल्डिंग कंपनी लि०,
बिहार, पटना।

सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-मुख्य
अभियंता, (विद्युत) भवन निर्माण
विभाग, बिहार, पटना।

05-02-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग,
निगरानी विभाग, बिहार, पटना।

5-2-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग, बिहार, पटना।

05-02-24
सदस्य

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति-सह-अभियंता
प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना।

05-02-24
संयोजक

राज्य स्तरीय अनुसूचित दर
निर्धारण समिति
-सह-अभियंता प्रमुख मुख्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।